

अहकाम
में
जारी
हुए

तारीख हुकम	हुकम कार्यवाही मय इनिशियल्स जज राजस्व आवेदन संख्या 117/2019 अनवान कैलाश बनाम नानगाराम	नम्बर व तारीखअहकाम जो इस हुकम की तामील मे जारी हुए
22/12/20	<p style="text-align: center;">आदेश</p> <p>दिनांक 19.12.2020 को अवकाश होने से पत्रावली आज पेश हुई। प्रार्थीगण के वकील उपस्थित। अप्रार्थी संख्या 29 से 29, 33, 35 व 40 के वकील उपस्थित। शेष अप्रार्थीगण ईकतरफा। बहस सुनी गई। वकील प्रार्थीगण का कथन है कि प्रार्थीगण मौजा कपूरडी पटवार क्षेत्र कपूरडी तहसील व जिला बाडमेर के खसरा संख्या 500/107 रकबा 123.13 बीघा भूमि का अभिलिखित खातेदार है तथा अपनी खातेदारी भूमि की पक्की नेखमबन्दी करवाना चाहते है, इस हेतु निर्धारित शुल्क जमा करवाने को तैयार है।</p> <p>वकील अप्रार्थी संख्या 29 से 29, 33, 35 व 40 का कथन है कि उनकी खातेदारी भूमि की सीमाओं को छोड़कर तथा उनकी उपस्थिति में नखमबन्दी की जावें।</p> <p>वकील प्रार्थीगण को सुनने के पश्चात पत्रावली का भी अवलोकन किया गया। प्रकट तथ्यों एवं पत्रावली के अवलोकन से ज्ञात होता है कि प्रार्थीगण प्रार्थना पत्र में अंकित भूमि का अभिलिखित खातेदार है तथा अपनी खातेदारी भूमि की पक्की नेखमबन्दी करवाना चाहता है जो उचित प्रतीत होता है।</p> <p>अतः प्रार्थीगण का आवेदन स्वीकार किया जाकर मौजा कपूरडी पटवार क्षेत्र कपूरडी तहसील व जिला बाडमेर के खसरा संख्या 500/107 रकबा 123.13 बीघा भूमि के चारो तरफ पक्के नेखम स्थापित कर नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार बाडमेर को कमीश्नर नियुक्त किया जाकर निर्देश दिये जाते है कि उक्त कार्रवाई प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस/पत्र सूचित करते हुए एक निश्चित तारीख मुकर्रर कर (वर्षाकाल में खड़ी फसल पर सीमांकन व पत्थरगढी नही करने बाबत् राजस्व विभाग द्वारा जारी निर्देश दिनांक 04.08.1992 के मद्देनजर) की जावे। कमीश्नर फीस 1500/- अक्षरे एक हजार पांच सौ रूपये मात्र निर्धारित की जाती है, जो प्रार्थीगण द्वारा मौके पर अदा की जायेगी। इस आशय का आदेश तहसीलदार बाडमेर के नाम जारी हो। पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर सामिल मिसल हो। पत्रावली फैसल-सुमार होकर दाखिल दफतर हो।</p> <p style="text-align: right;">उप खण्ड अधिकारी बाडमेर</p>	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, (एस.डी.ओ) बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी-श्री रोहित चौहान, आर.ए.एस
क्रमांक रीडर/2020/277

प्रार्थीगण

1 कैलाश 2 मोती पिसरान पुनमा 3 रतना 4 चिमा
पिसरान मोडा 5 सतियो पत्नी पुनमा 6 वरजु पतनी
मोडा जाति जाट निवासी कपूरडी तहसील व जिला
बाड़मेर।


बनाम

दिनांक - 22/12/20
अप्रार्थीगण
1 नानगाराम पुत्र सोनाराम
वगैराह जाति जाट निवासी
कपूरडी तहसील व जिला
बाड़मेर।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128,111 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, करने नेखमबन्दी बाबत
राजस्व आवेदन संख्या :- 117/2019

आदेश

उपर्युक्त, प्रकरण मौजा कपूरडी पटवार क्षेत्र कपूरडी तहसील व जिला बाड़मेर के
खसरा संख्या 500/107 रकबा 123.13 बीघा भूमि के चारो तरफ पक्के नेखम स्थापित करते
हुए नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार बाड़मेर को कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। उक्त
नेखमबन्दी कार्रवाई करने से पूर्व प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण को नोटिस/पत्र के जरिये सूचित
करते हुए एक तिथि निश्चित (वर्षाकाल में खड़ी फसल पर सीमांकन व पत्थरगढी नही करने
बाबत राजस्व विभाग द्वारा जारी निर्देश दिनांक 04.08.1992 के मद्देनजर) कर पक्षकारान की
उपस्थिति में नेखमबन्दी की जावे। कमीश्नर शुल्क रूपये 1500/- अक्षरे एक हजार पांच सौ
रूपये मात्र निर्धारित की जाती है, जो प्रार्थीगण द्वारा मौके पर अदा किया जावेगा।



(रोहित चौहान)
उपखण्ड अधिकारी,
बाड़मेर

क्रमांक :- रीडर/2020/2773-77

दिनांक- 22/12/20

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है :-

1. तहसीलदार बाड़मेर पालना प्रस्तुत करते वक्त पत्र पर निर्णय की तिथि अवश्य अंकित करें।
2. पटवारी कपूरडी तहसील बाड़मेर को भेजकर लेख है कि निर्धारित तिथि को मय रेकर्ड उपस्थित रहकर नेखमबन्दी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. कैलाश पुत्र पुनमा वगैराह जाति जाट निवासी कपूरडी तहसील व जिला बाड़मेर।
4. विप्रार्थी नानगाराम पुत्र सोनाराम वगैराह जाति जाट निवासी कपूरडी तहसील व जिला बाड़मेर।

उपखण्ड अधिकारी,
बाड़मेर